न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/27)

निर्णय दिनांकः– 10-11-25

1. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी हरियासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छतरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20–01–1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 16–02–1982 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए दिनांक 25–03–1976 को आवंटन सलाहकार समिति में रकबा आवंटन करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात अपीलान्ट को उसकी पात्रता के अनुसार भूमि आंवटन न करके अपीलान्ट के आवेदन को बिना किसी आदेश के पैडिग रख दिया तथा दिनांक 20.01.1984 यह लिख कर कि नोटिस जारी का लिख कर पत्रावली को दाखिल दफतर कर दिया जाए। अपीलान्ट रकबा प्राप्त करने के लिए तहसील एवं उप खण्ड अधिकारी छत्रगढ़ के कार्यालय के चक्कर लगाता लगाता रहा तथा अपनी पूरी उम्र इस आश में गुजार दी कि उसे मुरब्बा आवंटन होगा। फिर भी अपीलान्ट को उसकी पात्रता के अनुसार आज दिन तक आंवटन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने, बिना तहसीलदार व पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाए, अपनी मन मर्जी से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कतई गलत एवं गैर कानूनी तथा क्षेत्रधिकार विहीन है। उपखण्ड अधिकारी छत्रगढ के समक्ष यह स्पष्ट था कि अपीलान्ट को उसकी पात्रता के अनुसार आंवटन किया जाना कानूनन आवश्यक है, तो अदालत मातहत को चाहिये था कि अपीलान्ट को उसके समकक्ष अन्य रकबा आंवटित करते परन्तु अदालत मातहत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आनन फानन में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कतई गलत एवं गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है, जिसे निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय (उप खण्ड अधिकारी, छत्रगढ़) को आदेश पारित किया जावे कि अपीलान्ट को उसकी पात्रता के अनुसार रकबा आंवटन किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट मोहनराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18–03–1976 को अपीलांट को 3 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि आवंटन का पात्र घोषित किया गया है। अपील अपीलांट का मुख्य आधार यह है कि बावजूद पात्रता अपीलांट को भूमि आवंटित नही की गई। अपीलांट का आवेदन पेडिंग रख दिया। नोटिस दिनांक 20–1–1984 द्वारा अपीलांट की पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18–03–1976 को 3 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि आवंटन का पात्र घोषित किया था। अपीलांट को यह भूमि आवंटित होना उपलब्ध दस्तावेजात से साबित नही होता है।

7. इस स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छतरगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस तथ्य की जांच करे की अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुरूप कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन हुआ है अथवा नही? अगर अपीलांट को किसी प्रकार का आवंटन नही हुआ है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

8. निर्णय आज दिनांक 10-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर